बिहार सरकार
उद्योग विभाग

निबंधित

पत्रांक..... दिनांक,.....

5(स0) अपील (राम जी) –02/2015

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री रामजी सिंह ठाकुर
G-495, सेक्टर– गामा–2,
ग्रेटर नोयडा– U.P,
जिला– गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश),
पिनः– 201308

विषयः– दायर अपीलवाद सं0– 02/2015 की सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री रामजी सिंह ठाकुर, नोयडा बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।
अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5004 दिनांक 02/11/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
अनुलग्नकः– यथोक्त।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
3/11/16

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 02/2015

सर्वश्री रामजी सिंह ठाकुर, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर,

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

यह अपील मेसर्स रामजी सिंह ठाकुर, औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 1345/डी0 दिनांक 11.12.2014 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों के तर्कों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें वर्ष 2012 में औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर में पत्रांक 610/डी0 दिनांक 30.05.12 द्वारा बिल्डर्स हार्डवेयर निर्माण के उद्योग स्थापना हेतु 10,000 वर्गफीट भूमि भू–खण्ड संख्या ए–11 एवं ए–12 आवंटित किया गया था। उनके द्वारा बताया गया कि स्थल तक विद्युत संबंधता नहीं पहुँचने के कारण उक्त उद्योग स्थापित करने में कठिनाई है, इसलिए धूप एवं अगरबत्ती उद्योग लगाने की अनुमति प्रदान की जाय । उनके द्वारा बताया गया कि भू–खण्ड का मूल्यांकन राशि कुल 2,02845/– रु0 किया गया है । उक्त राशि को एक साथ जमा करना हमारे लिए मुश्किल है इसलिए 10 साल के तिमाही किश्तों में जमा करने की अनुमति प्रदान करें। जिसकी अनुमति नहीं मिली । पुनः मूल्यांकन राशि को 20 तिमाही किश्तों में जमा करने की अनुमति मांगी है। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 1345/डी0 दिनांक 11.12.2014 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आदेश ज्ञापांक 1345/डी0 दिनांक11.12.14 द्वारा इकाई को औद्योगिक क्षेत्र, जमालपुर में बिल्डर्स हार्डवेयर निर्माण के उद्योग स्थापना हेतु 10,000 वर्गफीट भूमि, भू–खण्ड संख्या ए–11 एवं ए–12 में आवंटित किया गया था। इकाई के अनुरोध पर बियाडा के पत्रांक 81/डी0 दिनांक 21.01.14 द्वारा परियोजना परिवर्तन की स्वीकृति दी गई। बियाडा के पत्रांक 487/डी0 दिनांक 20.05.14 द्वारा इकाई के 20 तिमाही किश्तों में मूल्यांकन राशि जमा करने की अनुमति को अस्वीकृत कर दिया गया। इकाई के अनुरोध पर मूल्यांकन राशि जमा करने हेतु एक माह अर्थात् 02.08.14 तथा उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु तीन माह अर्थात् 02.10.14 तक का समय पत्रांक 728/डी0 दिनांक 15.07.14 के द्वारा दिया गया, परन्तु इकाई द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। इकाई को पत्रांक 935/डी0 दिनांक 19.08.14 के द्वारा पुनः अंतिम नोटिस दिया गया । स्थलीय प्रतिवेदन पत्रांक 47/जे0 दिनांक 17.10.14 से स्पष्ट है कि स्थल पर औद्योगिक गतिविधि नहीं है तथा इकाई द्वारा मूल्यांकन राशि का भुगतान नहीं कर अतिरिक्त समय की मांग करना उद्यमी की उदासीनता और बकाया राशि के भुगतान नहीं करने के आलोक में आवंटित भूमि को रद्द कर दिया गया।

उभय पक्षों द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन एवं तर्क से यह स्पष्ट है कि इकाई को वर्ष 2014 में भू–खण्ड पर बिल्डर्स हार्डवेयर निर्माण उद्योग स्थापना हेतु आवंटित किया गया था । इकाई द्वारा बकाया राशि भुगतान के लिए भी कोई ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, जबकि

बियाडा द्वारा भुगतान हेतु समय–समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। बियाडा के show cause Notice का भी इकाई द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है, और न ही Exit policy में शामिल होने के लिए कोई आवेदन दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इकाई भूमि पर केवल कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। उपर्युक्त स्थिति में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का 'बियाडा' का आदेश सही है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

21/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/10/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

D/mydocument/A.Roy/Adeshfulak